संचिका सं0–10/प्रा0–07–02/2018 1140(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक–21/02/2018

विषयः– **औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोह को 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करते हुए नये भवन निर्माण हेतु रुपये 6,47,34,000/–(छः करोड़ सैंतालिस लाख चौंतीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवशेष राशि रुपये 6,47,34,000–2,03,27,000=4,44,07,000/-(चार करोड़ चौवालिस लाख सात हजार रुपये) के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2009–10 में स्वीकृत्यादेश संख्या–924(10), दिनांक–20.02.2009 एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत्यादेश संख्या–569(10), दिनांक–03.09.2014 के क्रम में कहना है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोह को उत्क्रमित कर 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक–560, दिनांक–11.05.2018 द्वारा प्राप्त पुनरीक्षित स्थूल प्राक्कलन भूमि उपलब्धता की स्थिति के आधार पर कुल रुपये 6,47,34,000/–(छः करोड़ सैंतालिस लाख चौंतीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवशेष राशि रुपये 6,47,34,000–2,03,27,000=4,44,07,000/-(चार करोड़ चौवालिस लाख सात हजार रुपये) मात्र लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

(2) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगाः–

(i) भवन निर्माण कार्य परिसर अवस्थित उपलब्ध आवश्यक 2 एकड़ भूमि पर ही कराया जाएगा।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(iii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(iv) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(v) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेंसी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

(vi) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।

(vii) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। तद्क्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छः मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

(viii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष–0101–रेफरल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–20-4210021030101, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से की जाएगी।

(4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

(5) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–244 एवं विपत्र कोड– K8448001110002 में सुलभ करायेंगे ।

(6) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

(7) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी ।

(8) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

(9) प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

(10) प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है ।

(11) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10 / प्रा०–07–02 / 2018 के पृष्ठ–6 / टि0 में प्राप्त है ।

(12) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश यथा समय अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/2/19

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक:– 1140 (10) / स्वा0, पटना, दिनांक:– 21-02-19

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद / सिविल सर्जन, औरंगाबाद / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोह (औरंगाबाद) / कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग / लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग / आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव ।

D:\DEP-10\Nagmani Kr\Rajayadesh_Awantanadesh\Rajayadesh Awantanadesh (2018-19)\PHC to CHC, Goh (Aurangabad).doc.